अनुदान संख्या 9 – कोयला मंत्रालय
GRANT No. 9 - MINISTRY OF COAL

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	1159,05,00				
				1159,06,00	822,99,89	-336,06,11
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					336,04,75

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचतें/अधिक व्यय हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	10970.00	..	..	..
पु.	R.	-10970.00			
मुख्य शीर्ष "2803"	Major Head "2803"				
कोयला और लिग्नाइट	Coal and Lignite				
मू.	O.	100119.00			
पू.	S.	1.00	77414.24	77413.21	-1.03
पु.	R.	-22705.76			

(I) ₹18963.00 लाख का प्रावधान ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹18452.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखबद्ध किए गए :–

(I) Provision of ₹18963.00 lakhs remained wholly unutilised under eleven heads; of these ₹18452.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" – "कोयला तथा लिग्नाइट – अन्य व्यय"

(क) "क्षेत्रीय अन्वेषण" – ₹1200.00 लाख;

(ख) "विस्तृत वेधन" – ₹8170.00 लाख; और

(ग) "कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास" – ₹1305.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का आंशिक पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2803" – "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(क) "क्षेत्रीय अन्वेषण" – ₹996.00 लाख; और

(ख) "विस्तृत वेधन" – ₹6781.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्रस्ताव न मिलने के कारण अप्रयुक्ता रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2803" – के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईं :–

(का) "कोयला तथा लिग्नाइट कंपनियों को सहायता – कोयला खानों में संरक्षण सुरक्षा और अवसंरचना विकास" – ₹4399.26 लाख की बचत (₹9869.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "अन्वेषण और विस्तृत वेधन – कोयला तथा लिग्नाइट का अन्वेषण" – ₹10606.50 लाख की बचत (₹68495.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(A) Major Head "2552" - "Coal and Lignite - Other Expenditure" -

(a) "Regional Exploration" - ₹1200.00 lakhs;

(b) "Detailed Drilling" - ₹8170.00 lakhs; and

(c) "Development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas" - ₹1305.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "2803" - "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Regional Exploration" - ₹996.00 lakhs; and

(b) "Detailed Drilling" - ₹6781.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of proposals.

(II) Under Major Head "2803" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Assistance to Coal and Lignite Companies - Conservation Safety and Infrastructure Development in Coal Mines" - saving of ₹4399.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9869.00 lakhs); and

(B) "Exploration and Detailed Drilling- Exploration of Coal and Lignite" - saving of ₹10606.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹68495.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोयला कंपनियों से दावे प्राप्त न होने, लॉकडाउन के कारण कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा बिल प्राप्त होने में विलंब के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of claims from coal companies, receipt of less proposals and delay in receipt of bills owing to lockdown.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹259.23 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of ₹259.23 lakhs occurred constituting 19 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹694.53 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मार्च, 2020 में मुख्य शीर्ष "2803" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :–

2. The above savings were partly (₹694.53 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2020 under Major Head "2803" - under the following heads:-

(का) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास" – ₹260.58 लाख। तथापि, वास्त्विक अधिक व्यय, ₹260.32 लाख था।

(A) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas" - ₹260.58 lakhs. Actual excess, however, was ₹260.32 lakhs.

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास" – ₹433.95 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹433.70 लाख था।

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas" - ₹433.95 lakhs. Actual excess, however, was ₹433.70 lakhs.